प्रेस नोट दिनाँक 08-01-2025

थाना सहसवान पुलिस को मिली बडी सफलता, अलग अलग स्थानो से चोरी हुई भैंसो का सफल अनावरण करते हुए भैस चोर के सक्रिय गिरोह की गिरफ्तारी तथा 02 अभियुक्तगण के कब्जे से 47800/- रूपये व घटना में प्रयुक्त एक अदद बुलेरो पिकअप नं0 UP38T6498 बरामद हुए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी एंव माल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के0 के0 सरोज के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी सहसवान कर्मवीर सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सहसवान राजेन्द्र बहादुर सिंह व थाना सहसवान पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.01.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 541/2024 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात चोर व मु0अ0सं0 570/2024 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात चोर के सफल अनावरण में थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त 1. आस मौहम्मद पुत्र नसरूद्दीन निवासी मौहल्ला जमुना कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सम्भल 2. जुबैर पुत्र हबीब निवासी मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया जिनसे मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त एक अदद बुलेरो पिकअप नं0 UP38T6498 व दोनो अभियुक्तगण के कब्जे से भैस चोरी की बिक्री के 47800/- रूपये बरामद किये गये।

विवरण

दिनांक 09.12.2024 को मुकदमा वादी ओमपाल पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम कौलहार थाना सहसवान जनपद बदायूँ ने थाना सहसवान पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दो भैंसे व एक पडिया व दो जिंगरे चुराकर ले गये है। इस सूचना पर तत्काल ही थाना सहसवान पर मु0अ0सं0 541/24 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.12.2024 को मुकदमा वादी श्री भुवनेश पुत्र पान सिंह निवासी ग्राम अलैहदादपुर भूड थाना सहसवान जनपद बदायूँ ने थाना सहसवान पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की चार भैंसो को चुराकर ले गये है। इस सूचना पर तत्काल थाना सहसवान पर मु0अ0सं0 570/24 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया, उक्त अभियोग से सम्बन्धित भैंसो की बरामदगी व घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी सहसवान के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सहसवान के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर उन्हें अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। टीम प्रभारी उ0नि0 श्री सुनील कुमार के सघंन प्रयास व गहन सुराग रसी पतारसी से घटना में सम्मिलित 02 अभियुक्तगण 1. आस मौहम्मद पुत्र नसरूद्दीन निवासी मौहल्ला जमुना कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सम्भल 2. जुबैर पुत्र हबीब निवासी मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से भैस चोरी की बिक्री के 47800/- रूपये व घटना में प्रयुक्त CCTV फुटेज के आधार पर चिन्हित एक अदद बुलेरो पिकअप नं0 UP38T6498 बरामद हुए।

गिरफ्तारी का स्थान दिनाँक व समय

ग्राम आनन्दीपुर से 300 मीटर आगे लिपटिस के बाग के पास दिनाँक 08.01.2025 समय करीब 00.30 बजे

विवरण पूछताछ -- अभियुक्त 1.आस मौहम्मद पुत्र नसरूद्दीन निवासी मौहल्ला जमुना कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सम्भल 2. जुबैर पुत्र हबीब निवासी मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सम्भल सम्बन्धित मु0अ0सं0 541/24 व मु0अ0सं0 570/24 धारा 303(2)/317(2) BNS से संघनता से इस घटना के अलावा अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण आस मौहम्मद व जुबैर उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम लोगो का एक संगठित चोरो का गिरोह है जिसमे हमारे इमरान पुत्र अली हसन व छोटे पुत्र रिजायउद्दीन निवासीगण ग्राम हथरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ एवं भानु पुत्र दरियाय निवासी ग्राम मनुआ

थाना वजीरगंज जिला बदायूँ साथी है। हम लोग इसी गाडी से रात में गाँव के बहारी घरो में बधें पशुओं को चुराकर गाडी में लादकर ले जाते है, और कम कीमत में बाजार में बैंच देते है। जिससे हम अपना व अपने परिवार का खर्चा चलाते है। आज हमारे साथी इमरान पुत्र अली हसन व छोटे पुत्र रिजायउद्दीन निवासीगण ग्राम हथरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ एवं भानु पुत्र दरियाय निवासी ग्राम मनुआ थाना वजीरगंज जिला बदायूँ ने हमको भैंस चोरी करने के लिए बुलाया था, योजना के अनुसार हम उनके पास जा रहे थे, तो पुलिस ने हमें रास्ते में पकड लिया। हम पाँचो लोगो ने आज से पहले भी बदायूँ के कई थाना क्षेत्रो से भैस चोरी कर बैंच चुके है। दिनांक 08/09.12.2024 की रात्रि में हम पाँचो ने ग्राम कोल्हार से दो भैंस व दो पडिया चुराकर ले गये थे। जिनको हमने खुर्जा पशु पैठ में 75000/- रूपयो में बैंच दिया था, तथा दिनांक 29/30.12.2024 की रात्रि में हम पाँचो ने ग्राम अलहैदारपुर भूड से दो भैंस दो पडिया चुराकर ले गये थे। जिनको हमने 100000/- (एक लाख) रूपयो में खुर्जा बाजार में बैंच दिया था। जिसमे से हम लोगो के हिस्से में 35000/- 35000/- रूपये आये थे। तथा इसके बाद हम पाँचो लोगो ने थाना वजीरगंज क्षेत्र के अमरोली से दिनांक 01/02.01.2025 की रात्रि में दो भैंस चोरी की थी और चोरी की गयी भैसों को इसी गाडी से लादकर हमने खुर्जा के पैंठ बजार में नाम पता अज्ञात व्यक्तियों को बेच दी थी।

अपराध करने का तरीका
अभियुक्तगण द्वारा रात में गाँव के बाहरी हिस्से में बने घरो में बधें पशुओं को चुराकर उन्हे कम कीमत में पशु पैंठ में बेच देना

विवरण गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण
1.आस मौहम्मद पुत्र नसरूद्दीन निवासी मौहल्ला जमुना कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सम्भल
2. जुबैर पुत्र हबीब निवासी मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सम्भल
गिर0 शुदा अभियुक्त आस मौहम्मद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 541/24 धारा 303(2)317(2) BNS थाना सहसवान
2. मु0अ0सं0 570/24 धारा 303(2)317(2) BNS थाना सहसवान
3. मु0अ0सं0 05/25 धारा 305 BNS थाना वजीरगंज
गिर0 शुदा अभियुक्त जुबैर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 541/24 धारा 303(2)317(2) BNS थाना सहसवान
2. मु0अ0सं0 570/24 धारा 303(2)317(2) BNS थाना सहसवान
3. मु0अ0सं0 05/25 धारा 305 BNS थाना वजीरगंज
4. मु0अ0सं0 316/19 धारा 323/377/506 IPC व 3/4 थाना गुन्नौर सम्भल

विवरण बरामदगी
A. अभियुक्त आस मौहम्मद उपरोक्त से घटना में प्रयुक्त एक अदद बुलेरो पिकअप नं0 UP38T6498 व भैस चोरी की बिक्री के 22100/- रूपये बरामद।
B. अभियुक्त जुबैर उपरोक्त से भैस चोरी की बिक्री के 25700/- रूपये बरामद

सोशल मीडिया सेल
जनपद बदायूँ।